आवंटित कर दी गई है।

रेलवे की खाली पड़ी जमीन

801. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के आस-पास कितने एकड़ जमीन खाली पड़ी है;

(ख) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों के आस-पास रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर भू-माफिया द्वारा झुग्गियां बसाने के प्रयास से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस खाली पड़ी जमीन को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) 118.07 एकड़;

(ख) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है;

(ग) अतिक्रमणों के मामलों में बेदखली के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखल अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है वृक्षारोपण, चारदीवारी के निर्माण आदि जैसे रोधक उपाय भी किए जा रहे हैं;

(घ) रेलवे की खाली भूमि का उपयोग, अवसंरचना के विकास तथा परिचालनिक सुविधा और यात्री सुख-सुविधा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा;

Survey Regarding Implementation of Command Area Development Programme

802. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have made any State-wise survey regarding the implementation of Command Area Development Programme;

(b) if so, the progress made in each State during the Eighth Plan; and

(c) the steps taken to bring more areas under irrigation through effective implementation of Command Area Development Programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Central Government reviews the State-wise implementation of Command Area Development Programme. The progress made in each State in respect of core components of Command Area Development Programme during the Eighth Plan upto 31-3-95 is given in statement (*see* below).

(c) For the effective implementation of Command Area Development Programme, monitoring efforts have been intensified, farmers' participation in the management of irrigation has been encouraged and training programmes for farmers and functionaries conducted. Further to identify the constraints in implementation of the Programme, 18 Evaluation studies have been awarded.

Statement

(*Unit*='000 hectare)

S. No.	Name of State	Total achievement 1992-93 to 1994-95			
		Field channels	Field Drains	Warabandi	Land Levelling
1.	Andhra Pradesh	5.60	0.00	44.58	10.32
2.	Arunachal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Assam	4.04	2.12	8.30	0.00
4.	Bihar	41.15	0.00	4.04	0.00
5.	Goa	2.57	0.01	4.90	0.10
6.	Gujarat	40.22	0.35	57.36	0.56

(Unit='000 hectare)

S. No.	Name of State	Total achievement 1992-93 to 1994-95			
		Field channels	Field Drains	Warabandi	Land Levelling
7.	Haryana	98.01	0.00	64.49	2.96
8.	Himachal Pradesh	1.82	0.56	4.59	0.00
9.	Jammu & Kashmir	13.49	2.89	51.25	5.02
10.	Karnataka	54.12	4.31	47.21	47.88
11.	Kerala	54.77	2.63	34.87	0.48
12.	Madhya Pradesh	25.26	16.93	25.00	0.00
13.	Maharashtra	75.05	39.72	33.99	2.70
14.	Manipur	3.90	1.92	3.65	2.95
15.	Meghalaya	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Nagaland	0.00	5.84	0.00	0.00
17.	Orissa	34.13	26.25	197.17	0.00
18.	Rajasthan	95.82	1.58	86.11	3.79
19.	Tamil Nadu	138.29	0.00	125.88	0.00
20.	Uttar Pradesh	314.54	23.00	851.87	0.00
21.	Tripura	0.20	0.00	0.20	0.00
22.	West Bengal	12.93	0.00	0.00	0.00
23.	Dadra & Nagar Haveli	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Daman & Diu	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total:	1015.91	128.11	1655.46	76.76

दिल्ली में अवैध निर्माण

803. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अवैध निर्माण कार्य अभी भी तीव्र गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्माण को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया): (क) से (ग): दिल्ली में अवैध निर्माण एक सतत समस्या है और इसे गिराना/हटाना भी एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी भी कोई अवैध निर्माण/अतिक्रमण नोटिस में आता है/सूचना मिलती है, संगत नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो पुलिस की मदद से सम्बन्धित स्थानीय निकाय/डी०डी०ए० द्वारा कार्रवाई की जाती है।

शहरी स्थानीय निकायों/डी०डी०ए०/भू-स्वामित्व वाली एजेंसियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं:-

(i) अवैध निर्माणों को विशेषरूप से अवैध कालोनियों के रूप में शुरू होते ही रोकने की तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए;

(ii) विद्यमान झुग्गी समूहों के चारों ओर पड़ी खाली जमीन की काटेदार बाड़ लगाकर अथवा चारदीवारी बना करके सुरक्षा करनी चाहिए ताकि निकटस्थ खाली जमीन पर झुग्गी समूहों के विस्तार को रोका जा सके।

(iii) पहरेदारी और निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और खाली भूमि की चौकीदारी सख्ती से की जानी चाहिए। लापरवाही/मिलीभगत/तुरन्त रिपोर्ट न किये जाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तरदायी ठहराने की पद्धति बनानी चाहिए; और

(iv) प्रत्येक क्षेत्र में एक व्यक्ति को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए ताकि अतिक्रमण अवैध निर्माण न हो सके और जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके।